न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 41 /2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ RAS

1 सोहनी देवी उम्र 45 वर्ष करीब पत्नी हरिराम जाति जाट निवासी ग्राम बउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 आशाराम पुत्र मुनाराम।

2 अरविन्द कुमार पुत्र मुनाराम समस्त जाति जाट निवासी ग्राम बउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

3 बीरबल पुत्र मुनाराम।

4 जगनाराम पुत्र मुनाराम।

5 इन्द्राज पुत्र हरीराम।

6 सन्तरा पुत्री हरीराम।

7 नाना देवी पत्नी मुनाराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम बउ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

8 पंजाब नेशनल बैंक शाखा खीरवा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।

9 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।

10 देना बैंक शाखा लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर जरिये शाखा प्रबंधक।

11 पटवारी हल्का ग्राम लालासी तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

12 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
13 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर भू–धारक राज. सरकार।

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व आदेश दिनांकित 21.01.16 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर
वाद सं. 88/15 बउनवानी प्रकरण
आशाराम बनाम बीरबल आदि

उपस्थित

1. श्री प्रमोद कुमार मोदी अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मुकेश कुमार कस्वां अधिवक्ता रेस्पोडेंट
3. श्री सुभाषचन्द्र पीपतवा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–17.09.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा वाद संख्या 88/2015 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट वादीगण ने भूमि खसरा नम्बर 129,130/2,175/1,130/3 के सन्दर्भ में वाद बंटवारा स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी प्राथमिक रूप से डिक्री कर दिया जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमों के कथनों को दोहराते हुये तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादीगण की तामिल में चल रही थी विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया को अनदेखा करते हुये अचानक बिना सुनवाई के चुनौति ग्रस्त आदेश पारित कर दिया। अपीलांट को इसकी जानकारी होने पर जानकारी के अन्दर मियाद धारा 5 मियाद अधिनियम आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील अपीलांट स्वीकार कर मियाद कन्डोन की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय ने राजस्व रिकार्ड के मुताबित विभाजन प्रस्ताव हेतु प्राथमिक डिक्री जारी की है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील अपीलांट खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली प्रतिवादीगण की तलबी में चल रही थी विचारण न्यायालय ने राजस्थान कोर्ट मेन्यूअल के प्रावधानों के विपरित बिना प्रकिया अपनाये विचाराधीन निर्णय पारित कर दिया है। जिसे विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण की तलबी विधि अनुसार पूर्ण कर, जवाब दावा प्राप्त कर, तनकीयात कायम कर, उभयपक्ष की दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई विधि अनुसार गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 12.11.2018 को उपस्थित हो।

निर्णय आज दिनांक 17.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर
17.9.18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर